निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 अग्रहायण 1938 (श0)

(सं0 पटना 1186) पटना, शुक्रवार, 15 दिसम्बर 2017

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

15 दिसम्बर 2017

सं० एल0जी0-01-28/2017-218/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 13 दिसम्बर 2017 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार ,

सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम 28, 2017]

बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) अधिनियम, 2017

बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

यतः, राज्य में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों एवं उनके अव्यवहित पारिवारिक सदस्यों को समुचित सुरक्षा प्रदान करने के विचार से **बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000** के प्रावधानों के अधीन विशेष सुरक्षा दल उपलब्ध किया गया है; और

यतः, विशेष सुरक्षा दल में **531 पदों के सृजन** के कारण सभी पदाधिकारियों/कर्मियों पर प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण हेतु वर्तमान प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है; और

यतः, **बिहार विशेष सुरक्षा अधिनियम, 2000** में निहित वर्तमान प्रावधान में राज्य सरकार द्वारा **समादेष्टा एवं उप समादेष्टा** के पदों की **नियुक्ति** के प्रावधान हैं, जो वर्तमान चुनौतीपूर्ण सुरक्षा परिदृश्य एवं दल के आकार में वृद्धि को देखते हुए पर्याप्त नहीं है;

इसलिए अब, **बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) में संशोधन आवश्यक** हो गया है।

भारत–गणराज्य के **अड़सठवें वर्ष** में **बिहार राज्य विधान मंडल** द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।– (1) यह अधिनियम, बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।

(2) इसका **विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में** होगा।

(3) यह **तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त** होगा।

2. बिहार अधिनियम 8, 2000 की धारा–5 में संशोधन ।– बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 की **धारा–5** की **उपधारा (2)** एवं **(3)** क्रमशः निम्नलिखित द्वारा **प्रतिस्थापित** की जाएंगी :–

"(2) राज्य सरकार पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), विशेष शाखा को विशेष सुरक्षा दल के प्रमुख के रूप में नामित करेगी।"

"(3) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), विशेष शाखा की सहायता राज्य सरकार द्वारा यथानियुक्त एक पुलिस उप महानिरीक्षक (सुरक्षा), विशेष शाखा, एक समादेष्टा, उप समादेष्टओं एवं सहायक समादेष्टाओं द्वारा की जाएगी।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार ,
सरकार के संयुक्त सचिव।

15 दिसम्बर 2017

सं० एल0जी0-01-28/2017-219/लेज––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर 2017 को अनुमत **बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) अधिनियम, 2017** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार ,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[Bihar Act 28, 2017]

Bihar Special Security Group (Amendment) Act, 2017

AN

ACT

To amend the Bihar Special Security Group Act, 2000 (Bihar Act 8, 2000).

Whereas, with a view to provide adequate security to the Chief Minister, Ex-Chief Ministers and immediate family members of the Chief Minister, Special Security Group is provided under the provision of **Bihar Special Security Group Act, 2000;** and

Whereas, due to **creation of 531 posts** in the Special Security Group, for effective administrative control, there is a need for an amendment in the present provisions.

Whereas, the present provisions of **appointment** to the posts of **Commandant and Dy.Commandants** by the State government in the **Bihar Special Security Group Act, 2000** is not

adequate, considering latest challenges in the security scenario and in view of the increase in the size of the Group.

Now, therefore, it is **necessary to amend the Bihar Special Security Group Act, 2000 (Bihar Act 8 of 2000).**

Be it enacted by the **legislature of the State of Bihar** in the **Sixty eighth year** of the Republic of India as follows :-

1. ***Short title, extent and commencement.***— (1) This Act may be called **The Bihar Special Security Group (Amendment) Act, 2017.**

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. *Amendment in section-5 of the Bihar Act 8, 2000.— Subsection (2) and (3) of section-5 of Bihar Special Security Group Act, 2000 shall be substituted by the following respectively :-*

" (2) State Government shall nominate Inspector General of Police (Security), Special Branch as the Head of Special Security Group."

" (3) Inspector General of Police (Security), Special Branch shall, in the discharge of his duties under this Act, be assisted by one Deputy Inspector General of Police (Security), Special Branch, one Commandant, Deputy Commandants and Assistant Commandants as may be appointed by the State Government."

By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR,
Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1186-571+400-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in